

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 37/2019



श्री श्योराज उर्फ शिवराज पुत्र श्री छगना, जाति जाट, निवासी ग्राम अरवड,
तहसील सरवाड़, जिला अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़, जिला अजमेर

.....रेस्पॉन्डेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम 1956

- उपस्थित :-
1. श्री मंगलाराम चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
 2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

-: आदेश :-

दिनांक - 03.03.2021

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि संवत् 2075 में श्री श्योराज उर्फ शिवराज पुत्र श्री छगना, जाति जाट, निवासी ग्राम अरवड, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर ने ग्राम अरवड के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 41 रकबा 6.18 हैक्टर में से 0.04 हैक्टर पर बाड़ लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार सरवाड़ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 14/2018 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 11.04.2018 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश अनुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। इसके अतिरिक्त उन्हे पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 11.04.2018 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पॉन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। मियाद के बिन्दु पर पैरोकार सरकार द्वारा एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्याय हित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।



अपर कलक्टर,
अजमेर



हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवादित भूमि पर से अपना अनाधिकृत रूप से किया गया अतिक्रमण हटा लेने का निवेदन कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त तथ्यों को नजरअंदाज कर बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किये तथा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। उन्होंने कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 01.07.2019 से अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा को सशर्त स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश की पालना में अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार सरवाड़ के समक्ष विवादित भूमि से कब्जा छोड़ने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश कर दिया गया। तहसीलदार सरवाड़ द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के उक्त निर्णय व अपीलान्ट के शपथ पत्र के आधार पर अपीलान्ट को केन्द्रीय कारागृह अजमेर से रिहा करने के सशर्त आदेश जारी कर दिये गये हैं। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि वर्तमान में विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अतिक्रमियों द्वारा अपना कब्जा हटा लिया हो तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को न्यायहित में निरस्त किया जाना चाहिये। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने हमारा ध्यान R.R.T. 2009(2) पेज 858 व R.R.T. 2008(1) पेज 479 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए अन्त में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र उन्होंने वाद ग्रस्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सिविल कारावास की सजा माफ की जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया है, इस तथ्य को अपीलान्ट ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। जहां तक अपीलान्ट का कथन है कि उन्होंने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है तो इस आशय का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश करे कि "उन्होंने विवादित भूमि से कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। तहसीलदार स्वयं विवादित भूमि का मौका निरीक्षण करे कि यदि अपीलान्ट का कब्जा हो तो सिविल कारावास की सजा यथावत रहेगी अन्यथा स्थिति में केवल सजा माफ की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यान पूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है। जिस दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायिक आधार मेरे समक्ष नहीं है। अतः दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। जहां तक 3 माह के कारावास की सजा में नरमी का रुख अपनाये जाने का प्रश्न है, माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 01.07.2019 से अपीलान्ट की सिविल कारावास की सजा सशर्त स्थगित किये जाने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट के ग्रामीण परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से




अपर कलक्टर,
अजमेर

स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में से केवल सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार स्वयं अथवा हल्का पटवारी के मार्फत एक सप्ताह में यह सुनिश्चित कर लेवे कि वादग्रस्त आराजी से अपीलान्ट ने अपना कब्जा छोड़ दिया है तथा उन्होंने राज्य हित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलान्ट द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय भूमि पर अपीलान्ट कब्जा नहीं करेगा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है, इन सब तथ्यों बाबत तहसीलदार इस प्रकरण से संबंधित पत्रावली में आदेशिका उल्लेखित करने के उपरांत सजा को माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 01.07.2019 एवं इस निर्णयानुसार स्थगित रख सकेगा। यदि अपीलान्ट द्वारा एक माह में उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं की जाती है अथवा पुनः राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया जाता है तो तहसीलदार स्थगित किए गये निर्णय को प्रभावी मानकर अपीलान्ट को नियमानुसार सजा भुगतवायेगा तथा अपीलान्ट की अपील पूर्ण रूप से खारिज मानी जायेगी एवं सजा यथावत रहेगी।

आदेश आज दिनांक 03.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।




(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अमेर कलेक्टर, अजमेर